संदर्भ सं.एनबी.आईसीडी / **1585/** डीएसआरआर -4 / 2009-10
परिपत्र सं. **219** / निऋवि - **46** /2009
24 दिसंबर 2009

अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
सभी अनुसूचित (प्राथमिक) शहरी सहकारी बैंक
सभी क्षेग्रा बैंक / एडीएफसी / रास बैंक / रासकृग्रावि बैंक
नाबार्ड पुनर्वित्त हेतु पात्र सभी अन्य संस्थाएं

प्रिय महोदय,

केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना - छोटे रोमन्थक (रुमिनेन्ट) और खरगोशों के समन्वित विकास के लिए योजना

जैसा कि आपको विदित है, भेड़ और बकरियों का पालन अत्यधिक गरीब ग्रामीणों द्वारा किया जाता है और ये पशु हमारे समाज को मांस, ऊन और खाद प्रदान करते हैं. ये पशु विभिन्न प्रकार की कृषि जलवायु स्थितियों के अनुकूल होते हैं. तथापि, उस क्षेत्र के पिछड़े होने के मुख्य कारणों में अत्यंत निर्धन लोगों को इस क्षेत्र की भूमिका की कम जानकारी, योजनाकारों / वित्तीय एजेंसियों के द्वारा ध्यान के अभाव और पशुओं की उत्पादकता सुधारने की दिशा में कम ध्यान दिया जाना शामिल है.

2. इस पृष्ठभूमि में, भारत सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि 24 राज्यों के, छोटे रोमन्थकों हेतु 114 जिलों और खरगोशों हेतु 12 जिलों पर फोकस के साथ 11वीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान छोटे रोमन्थक और खरगोशों के समन्वित विकास हेतु 'जोखिम पूँजी निधि' के साथ एक योजना शुरू की जाए. इस योजना के दिशानिर्देशों के पैरा 5.1 में यथा उल्लिखित विभिन्न घटकों के लिए कुल वित्तीय परिव्यय (टीएफओ)पर आधारित ब्याज मुक्त ऋण (आईएफएल) प्रदान किया जाएगा.

3. रोमन्थक और खरगोश पालन इकाइयां स्थापित करने हेतु इस योजना के अन्तर्गत, भूमिहीन श्रमिकों, सीमांत किसानों और उनके स्वयं सहायता समूहों को सहायता उपलब्ध होगी जिसमें पारंपरिक गडरियों, महिलाओं और अजा/अजजा को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी. व्यक्तिशः किसानों, पारंपारिक ब्रीडरों से, उद्यमियों, गैर सरकारी संगठन आदि प्रजनन फार्म हेतु पात्र होंगे किन्तु तरजीह उन्हें दी जाएगी जिन्होंने छोटे रोमन्थक और खरगोशों का पालन करने के लिए किसानों को समूहों में संगठित किया है. इस योजना के दिशानिर्देशों के पैरा 5.1 में यथा निर्देशित सभी श्रेणियों के प्रवर्तकों को उच्चतम सीमा के साथ परियोजना की कुल वित्तीय परिव्यय के 50% की दर से ब्याज मुक्त ऋण (आईएफएल) उपलब्ध होंगे.

4. इस योजना के अन्तर्गत सहायता पूर्णतया ऋण से संयोजित और पात्र संस्थाओं द्वारा परियोजना की मंजूरी के अध्यधीन होगी. ऋणों की मंजूरी के पश्चात, बैंक अपने नियंत्रक कार्यालयों के माध्यम से नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय को ब्याज मुक्त ऋण की मंजूरी हेतु आवेदन करेंगे. नाबार्ड, क्षेत्रीय कार्यालय

दावा प्रस्तावों की संवीक्षा करेगा और सुनिश्चित करेगा कि इस योजना की शर्तों के अनुसार प्रस्तुत किए गए दावा प्रस्ताव मंजूरी हेतु, राज्य स्तरीय मंजूरी और अनुप्रवर्तन समिति (एसएलएसएमसी) के समक्ष रखे जाते हैं. राज्य स्तरीय मंजूरी और अनुप्रवर्तन समिति पात्र संस्थाओं की परियोजनाओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण मंजूर करेगी. नाबार्ड इस योजना के अंतर्गत दिए गए सावधि ऋणों हेतु पात्र वित्तपोषक बैंकों को पुनर्वित्त सहायता प्रदान करेगा. पुनर्वित्त की दर और मात्रा नाबार्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाएगी.

5. योजना का कार्यान्वयन राष्ट्रीय स्तर पर केन्द्र स्तरीय अनुप्रवर्तन समिति के द्वारा छमाही आधार पर किया जाएगा. राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय मंजूरी और अनुप्रवर्तन समिति (एसएलएसएमसी) तिमाही आधार पर परियोजनाओं की समीक्षा करेगी. सहभागी बैंक यूनिटों की आवधिक आधार पर निरीक्षण करेंगे और समेकित आधार पर एसएलएसएमसी को फीडबैक देंगे.

6. प्रत्येक राज्य में एसएलएसएमसी अपने गठन के तुरंत बाद बैठके करेंगी और यह निर्णय लेंगी कि प्रत्येक लाभार्थी से संबंधित प्रस्तावों को अनुमोदन समिति के समक्ष रखा जाए अथवा निजी/ क्लस्टर के प्रस्तावों को इकट्ठा कर एक साथ समिति के विचारार्थ रखा जाये अथवा व्यक्तिगत प्रोजेक्टों पर वित्तीय संस्थाओं द्वारा लिये गए निधियों का अनुप्रवर्तन समिति द्वारा किया जाए.

7. हमारा अनुरोध है कि आप, इस योजना को शीघ्रता से लागू करने के अनुदेशों के साथ इस योजना के परिचालनात्मक दिशानिर्देशों को अपने नियंत्रक कार्यालयों और शाखाओं में परिचालित करें. आप इस योजना का व्यापक प्रचार करने की भी व्यवस्था करें. इस योजना को लोकप्रिय बनाने और संभावित प्रमोटरों से आवेदन प्राप्त करने के लिए संबंधित पशुपालन नियंत्रण से भी संपर्क करे. योजना के परिचालन मार्गनिर्देशों की प्रति संलग्न की जा रही है. नाबार्ड की वेबसाइट पर योजना के परिचालन मार्गनिर्देश के अंग्रेजी और हिन्दी रूपांतर देखे जा सकते हैं.

कृपया पावती भेजें

भवदीय

ह/-
(एस.सी.कौशिक)
मुख्य महाप्रबंधक

अनुलग्नक : परिचालनात्मक दिशानिर्देशों की एक प्रति

छोटे रोमेन्थक (रुमिनेन्ट) और खरगोशों के समन्वित विकास के लिए योजना हेतु मार्गनिर्देश

I पृष्ठभूमि

1.1 भेड़ और बकरियों का पालन अत्यधिक गरीब ग्रामीणों द्वारा किया जाता है. वे हमारे समाज को मांस, ऊन, दूध और खाद प्रदान करते हैं. ये पशु विभिन्न प्रकार की कृषि-जलवायु स्थितियों के अनुकूल होते हैं. ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इस क्षेत्र का अंशदान रु.2400 करोड़ है. जिससे प्रमुखत: भूमिहीन, सीमान्त और लघु किसानों का भरण-पोषण होता हैं. यह पशुधन उत्पादों के कुल मूल्य का 10% है. यद्यपि हमारे देश में भेड़ों की लगभग 41 और बकरियों की 20 नस्लें हैं फिर भी फील्ड स्तर पर इनके निष्पादन को सुधारने के लिए इनका कुशल प्रजनन बहुत कम हुआ है. स्थानीय पशुओं के वर्ण संकर हेतु एग्जोटिक जर्मप्लाज़्म के आयात के प्रयास भी असफल रहे हैं.

1.2 अत्यंत निर्धन लोगों के लिए (डाउन ट्रोडन) इस क्षेत्र द्वारा अदा की जाने वाली भूमिका की कम जानकारी, प्लानर्स / बैंकर्स के द्वारा कम ध्यान दिया जाना, पशुओं को सुधारने की दिशा में कम ध्यान, इस क्षेत्र के पिछड़ेपन के कारक है. इनके सहयोग के लिए कोई कृषक संगठन भी नहीं है. राष्ट्रीय स्तर पर भी इस क्षेत्र हेतु योजनाएं नहीं है. इनके चराई क्षेत्र के चारो के सूखते जाने से इनकी समस्याएँ बढ़ती जा रही हैं. यह आवश्यक है कि इन्हें संगठित और नवीनतम उपलब्ध तकनीकों से शिक्षित किया जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों का उपयोग किया जाता है और पशुओं का चयन बेहतर निष्पादन के लिए किया जाता है.

1.3 यह प्रस्ताव पिछली उपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है.

2. योजना का उद्देश्य

इस योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नानुसार हैं :-

i. भेड़/ बकरी / खरगोश पालने वाले किसानों को निष्पादन हेतु प्रोत्साहन देकर निर्वाहक उत्पादन के स्थान पर व्यावसायिक पालन हेतु प्रोत्साहित करना.

ii. मापने योग्य सूचकों पर नियमित चयन और छटाई के आधार पर देशी नस्लों के उत्पादन निष्पादन को सुधारा जाएगा.

iii. स्वीकार्य मानदण्डों के आधार पर विपणन को सुगम बनाना ताकि उत्पादक को मांस के लिए अंतिम उपभोक्ता द्वारा अदा किए गए मूल्य का सही भाग मिल सके.

iv. स्थानीय रूप से उत्पाद की मूल्य वृद्धि को प्रोत्साहित करना तथा किसानों को पशुओं से बेहतर आय प्राप्त करने में मदद करना.

3. कार्यान्वयन अवधि और परिचालन का क्षेत्र

यह योजना XI योजना की शेष अवधि के दौरान कार्यान्वित की जाएगी जिसमें 24 राज्यों में छोटे रोमन्थक (रुमिनेन्ट) के लिए 114 जिलों तथा खरगोशों के लिए 12 जिलों में विशेष ध्यान दिया जाएगा (अनुबंध I). राज्य स्तरीय मंजूरी और अनुप्रवर्तन समिति (एसएलएसएमसी), अपने राज्यों में ऐसे क्षेत्रों की संभाव्यता को ध्यान में रखते हुए नए क्षेत्रों को भी शामिल कर सकती है.

4. पात्रता

4.1 पालन इकाइयों के गठन हेतु व्यक्तिश: किसान और स्वयं सहायता समूह इच्छुक लाभार्थी है. इसके लिए पारंपारिक मेष पालकों, महिलाओं, अ.जा. और अ.ज.ज. को वरीयता दी जाएगी.

4.2 व्यक्तिश: किसान, गैर सरकारी संगठन, कंपनियाँ, प्रजनन फार्मों के लिए पात्र होंगी. इनमें से उनको वरीयता दी जाएगी जिन्होंने छोटे रोमन्थक (रुमिनेन्ट) और खरगोशों के पालन हेतु किसानों को समूहों में संगठित किया है.

5. परियोजना लागत और ब्याज मुक्त ऋण (आईएफएल) पर उच्चतम सीमा

5.1 विभिन्न क्रियाकलापों हेतु आईएफएल पर सूचक परियोजना लागत और उच्चतम सीमा निम्नानुसार है.

क्र.सं.	घटक	कुल वित्तीय (रु.लाख)	सहायता का प्रकार
1	भेड़ और बकरी पालन (40+2)	1.00	रु.50,000/- की अधिकतम सीमा के अधीन आईएफएल के रूप में परिव्यय का 50%.
2	भेड़ और बकरी प्रजनन इकाइयाँ (500+25)	25.00	रु.12.50 लाख की अधिकतम सीमा के अधीन आईएफएल के रूप में परिव्यय का 50%
3	खरगोश पालन इकाइयाँ	2.25	रु.1.125 लाख की अधिकतम सीमा के अधीन आईएफएल के रूप में परिव्यय का 50%

6. निधीकरण पद्धति

- उद्यमी का अंशदान (मार्जिन) - पालन इकाइयों के मामले में 10% और प्रजनन इकाइयों के मामले में25% (न्यूनतम)
- ब्याज मुक्त ऋण - अधिकतम सीमा के अधीन कुल वित्तीय का 50%

- बैंक ऋण - शेष रकम

यदि परिव्यय ऊपर दिए अनुसार से अधिक हो तो, या तो उद्यमी उस रकम को अतिरिक्त मार्जिन के रूप में दे सकता है अथवा बैंक इसे ऋण के रूप में स्वीकृत कर सकता है.

7. ऋण के साथ सहबद्धता

इस योजना के अंतर्गत सहायता, पात्र वित्तीय संस्थाओं द्वारा परियोजना की मंजूरी के अधीन होगी और ऋण से सहबद्ध होगी.

8. पात्र वित्तीय संस्थाएँ

क. वाणिज्य बैंक
ख. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
ग. राज्य सहकारी बैंक
घ. राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक और
ङ. ऐसी अन्य संस्थाएँ जो **नाबार्ड** से पुनर्वित्त सह-वित्त प्राप्त करने की पात्र है.

9. राज्य स्तरीय मंजूरी और अनुप्रवर्तन समिति तथा केन्द्रीय अनुप्रवर्तन समिति का गठन

9.1 राज्य स्तरीय मंजूरी और अनुप्रवर्तन समिति (एसएलएसएमसी) का गठन नाबार्ड के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा किया जाएगा और राज्य के प्रधान सचिव / पशुपालन विभाग के सचिव उसके अध्यक्ष होंगे. निम्नलिखित के एक-एक प्रतिनिधि इस समिति के सदस्य होंगे :

i. पशुपालन, डेरी व मत्स्य (फिशरीज़) विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार
ii. राज्य का अग्रणी बैंक
iii. राज्य का पशुपालन विभाग
iv. राज्य में सक्रिय रूप से कार्यरत एक गैर सरकारी संगठन
v. नाबार्ड का क्षेत्रीय कार्यालय - संयोजक

9.2 राष्ट्रीय स्तर पर एक केन्द्रीय अनुप्रवर्तन समिति गठित की जाएगी जो विभाग द्वारा सीधे मंजूर की जाने वाली परियोजनाओं को अनुमोदित करेगी और योजना के संबंध में परिचालन प्लान और नीति तैयार करेगी.

10. योजना का कार्यान्वयन

I पालन इकाइयाँ

क.	**फैसिलिटेटर के रूप में काम करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों का चयन**

i.	राज्य स्तरीय मंजूरी और अनुप्रवर्तन समिति, छोटे रोमन्थक (रुमिनेन्ट) के क्षेत्र में कार्यरत या इस योजना के तहत इस क्षेत्र में फैसिलिटेटर के रूप में काम करने के इच्छुक गैर सरकारी संगठनों से प्रस्ताव आमंत्रित करेगी. ये गैर सरकारी संगठन इच्छुक लाभार्थियों को समूहों में संगठित करने, उन्हें संपोषित करने, स्थानीय पशुपालन विभाग के साथ समन्वय से उन्हें प्रशिक्षण दिलाने, इन समूहों / समूहों के सदस्यों को स्थानीय बैंकों से ऋण मंजूर कराने में सहयोग देने, और निविष्टियों और पशुओं की बिक्री की व्यवस्था कराने के लिए जिम्मेदार होंगे. किसानों को समूहों में संगठित करने, उनके प्रशिक्षण और गैर सरकारी संगठनों के क्षमता निर्माण के लिए अलग प्रावधान उपलब्ध है :

ii.	एसएलएसएमसी फैसिलिटेटरों (प्रत्येक जिले में कम से कम 2-3) का चयन कर उन्हें कार्यक्षेत्र आबंटित करेगी.

iii.	चुने गए फैसिलिटेटर समूहों के चयन के लिए लाभार्थियों के चयन, समूहों के गठन, प्रशिक्षण और उन्हें बैंकों से जोड़ने का काम आगे बढ़ाएँगे. यह कार्य स्थानीय पशुपालन विभाग और नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक के मार्गदर्शन में किया जाएगा.

iv.	योजना के अंतर्गत, पहले से विद्यमान स्वयं सहायता समूहों द्वारा क्षेत्र में पालन गतिविधि के लिए विचार किया जा सकता है.

ख.	**बैंकों द्वारा ऋण की मंजूरी**

प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद फैसिलिटेटर स्थानीय बैंकों से ऋण मंजूर करवाने की व्यवस्था करे. बैंक अपने मानदण्डों के अनुसार परियोजना का आकलन करे और ऋण की मंजूरी के बाद अपने नियंत्रण कार्यालयों के माध्यम से अनुबंध II में दिए गए फार्मेट में ब्याज मुक्त ऋण की मंजूरी के लिए नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय को आवेदन प्रस्तुत करें.

बैंक यदि चाहें तो, वे ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त होने से पहले ऋण का संवितरण कर सकते है. इस स्थिति में, ब्याज मुक्त ऋण का हिस्सा प्राप्त होने तक वे ऋण की समस्त राशि पर ब्याज प्रभारित कर सकते है. ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त होने के बाद ऋण में केवल उनके हिस्से की राशि पर ब्याज प्रभारित किया जा सकेगा और ब्याज मुक्त ऋण पर कोई ब्याज प्रभारित नहीं किया जाएगा. तथापि, इससे बैंक / लाभार्थी को ब्याज मुक्त ऋण के हिस्से पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा. यह हिस्सा परियोजना की पात्रता और भारत सरकार से निधियों की उपलब्धता पर ही मंजूर / जारी किया जाएगा.

## II	जनन इकाई

उद्यमी / गैर सरकारी संगठन / कंपनी परियोजना की एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर मंजूरी के लिए अपने वित्त पोषक बैंक को भेजे. बैंक, अपने मानदंडों के अनुसार परियोजना का आकलन करे और यदि संभाव्य और व्यवहार्य पाई जाए तो उसके लिए ऋण मंजूर करे. उसके बाद वे अपने नियंत्रण कार्यालयों के माध्यम से अनुबंध II में दिए गए फार्मेट में ब्याज मुक्त ऋण की मंजूरी के लिए नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय को आवेदन प्रस्तुत करें.

पालन इकाइयों के मामले में ही बैंक यदि चाहें तो, वे ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त होने से पहले ऋण का संवितरण कर सकते है. इस स्थिति में, ब्याज मुक्त ऋण का हिस्सा प्राप्त होने तक वे ऋण की समस्त राशि पर ब्याज प्रभारित कर सकते है. ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त होने के बाद ऋण में केवल उनके हिस्से की राशि पर ब्याज प्रभारित किया जा सकेगा और ब्याज मुक्त ऋण पर कोई ब्याज प्रभारित नहीं किया जाएगा. तथापि, इससे बैंक / लाभार्थी को ब्याज मुक्त ऋण के हिस्से पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा. यह हिस्सा परियोजना की पात्रता और भारत सरकार से निधियों की उपलब्धता पर ही मंजूर / जारी किया जाएगा.

11. ब्याज मुक्त ऋण की मंजूरी और उसे जारी किया जाना

11.1 नाबार्ड का क्षेत्रीय कार्यालय दावे के लिए प्राप्त प्रस्तावों की संवीक्षा करे और यह सुनिश्चित करे कि राज्य स्तरीय मंजूरी और अनुप्रवर्तन समिति (एसएलएसएमसी) को केवल वही प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाए जो दिए गए दिशानिर्देशों में विहित सभी शर्तें पूरी करते हों. शुरुआत में यह बैठक प्रस्तावों के प्राप्त होने पर और उसके बाद तिमाही / छमाही आधार पर आयोजित की जाए ताकि योजना की प्रगति की समीक्षा की जा सके.

11.2 राज्य स्तरीय मंजूरी और अनुप्रवर्तन समिति पात्र प्रस्तावों के लिए ब्याज मुक्त ऋण का हिस्सा (अधिकतम सीमा के अधीन कुल परिव्यय का 50%) मंजूर करेगी. प्रत्येक राज्य में एसएलएसएमसी अपने गठन के तुरंत बाद बैठकें करेंगी और यह निर्णय लेंगी कि प्रत्येक लाभार्थी से संबंधित प्रस्तावों को अनुमोदन के लिए समिति के समक्ष रखा जाये अथवा जिला/ क्लस्टर के प्रस्तावों को इकट्ठा कर एक साथ समिति के विरार्थ रखा जाये अथवा व्यक्तिगत प्रोजेक्टों पर वित्तीय संस्थाओं द्वारा लिए गए निर्णयों का अनुसमर्थन समिति द्वारा किया जाएं.

11.3 प्रधान कार्यालय से पुष्टि मिलने पर, नाबार्ड के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा संबंधित बैंकों को स्वीकृत ब्याज मुक्त ऋण (आईएफएल) जारी की जाएगी. ब्याज मुक्त ऋण की मंजूरी और वितरण सिर्फ चयनित लाभार्थियों के लिए होगा.

11.4 नाबार्ड से ब्याज मुक्त ऋण घटक के प्राप्त होने के एक माह के भीतर बैंकों द्वारा पहली किस्त जारी की जाएगी. यदि किन्हीं कारणवश बैंक ऋण राशि जारी करने में असमर्थ है, तो नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों को ब्याज मुक्त ऋण की रकम उसकी प्राप्ति के एक माह के भीतर वापस कर दी जाएगी. इस वापसी में विलंब के मामलों में, नोडल शाखा द्वारा उसकी प्राप्ति की तारीख से 10% प्रति वर्ष की दर से बैंक को ब्याज देना होगा.

12. चुकौती अवधि और ऋण की वसूली

12.1 ऋण चुकौती अवधि, नकदी प्रवाह पर निर्भर होगी और 2 वर्ष की छूट अवधि सहित अधिकतम 9 वर्ष होगी. बैंक नाबार्ड को ब्याज मुक्त ऋण सहित समग्र ऋण के लिए चुकौती अनुसूची प्रस्तुत करेगा और उधारकर्ता को प्रदान किये गये ऋण की वसूली और छमाही आधार पर नाबार्ड को आनुपातिक राशि लौटाने और समुचित अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठायेगा. सुविधा के लिए, जनवरी से जून तक प्राप्त चुकौती को 31 जुलाई को नाबार्ड को भेजा जाएगा और इसी प्रकार जुलाई से दिसंबर के दौरान प्राप्त चुकौती को अगले वर्ष की 31 जनवरी को भेजा जाएगा. यदि कोई जोखिम हो, तो उसे आनुपातिक आधार पर भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा. तथापि, समग्र ऋण राशि की वसूली के लिए बैंक द्वारा प्रभावी कदम लिए जाएंगे.

12.2 अनुबंध - III में दिए गए फार्मेट में बैंकों द्वारा वार्षिक आधार पर लेखों की स्थिति प्रेषित की जाएगी.

13. ब्याज दर

मीयादी ऋण पर ब्याज की दर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों और बैंकों द्वारा घोषित नीति के अनुसार होगी.

14. प्रतिभूति (सिक्यूरिटी)

ऋण प्राप्त करने के लिए प्रतिभूति (सिक्यूरिटी) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार होगी.

15. नाबार्ड से पुनर्वित्त सहायता

नाबार्ड द्वारा वाणिज्य बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों, राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों और इसी प्रकार की अन्य पात्र संस्थाओं को पुनर्वित्त सहायता प्रदान की जाएगी. पुनर्वित्त की मात्रा और ब्याज दर का निर्धारण नाबार्ड द्वारा समय-समय पर किया जाएगा.

16. अनुप्रवर्तन

16.1 राष्ट्रीय स्तरीय केन्द्रीय अनुप्रवर्तन समिति द्वारा छमाही आधार पर प्रगति की समीक्षा की जाएगी.

16.2 एसएलएसएमसी द्वारा तिमाही आधार पर प्रगति की समीक्षा की जाएगी.

16.3 सहभागी बैंकों द्वारा आवधिक आधार पर यूनिटों का निरीक्षण कर एसएलएसएमसी को समेकित फीडबैक भेजी जाएगी.

17. अन्य शर्तें

- सहभागी बैंकों द्वारा परियोजनाओं के मूल्यांकन हेतु तकनीकी साध्यता और व्यावसायिक / वित्तीय व्यवहार्यता से संबंधित मानदंडों का पालन किया जाएगा.
- सहभागी बैंकों द्वारा जहाँ पर भी सांविधिक हो, परियोजना के अंतर्गत निर्मित आस्तियों का बीमा सुनिश्चित कराया जाएगा.
- **नाबार्ड के माध्यम से पशुपालन, डेरी और मत्स्य पालन विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार से सहायता प्राप्ति का साईन बोर्ड यूनिट पर प्रदर्शित किया जाएगा.**
- सहभागी बैंकों द्वारा भौतिक, वित्तीय और परिचालनगत प्रगति के सत्यापन के लिए परियोजना पूर्व होने से पहले और बाद का निरीक्षण आवश्यकतानुसार किया जाएगा.
- डीएएचडी एंड एफ के पास बिना कोई कारण बताए किन्ही शर्तों में संशोधन रद्द या जोड़ने का अधिकार सुरक्षित है.
- डीएएचडी एंड एफ द्वारा की गई विभिन्न शर्तों की व्याख्या अंतिम होगी.
- बिना कोई कारण बताए योजना के अंतर्गत दी गई राशि की वापसी की मांग करने का अधिकार डीएएचडी एंड एफ के पास सुरक्षित है.
- जहाँ पर भी आवश्यक हो, डीएएचडी एंड एफ के प्रतिनिधि द्वारा वास्तविक और वित्तीय प्रगति की जाँच हेतु परियोजना से पूर्व और परियोजना के पश्चात निरीक्षण किया जाएगा.
- डीएएचडी एंड एफ / नाबार्ड द्वारा समय-समय पर जारी अन्य परिचालन अनुदेशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा.

अनुबंध - I

भेड़/बकरी/खरगोश पालन गतिविधियों के संसाधन मैपिंग के लिए संभाव्य जिले

क्र.सं.	राज्य	भेड़/बकरी	खरगोश
1	आंध्र प्रदेश	अदिलाबाद, चित्तुर, कडप्पा, गुंटुर, पूर्व और पश्चिम गोदावरी, खम्मम, नलगोंडा, निजामाबाद, प्राकसम, रंगारेड्डी, विशाखपट्टनरम, वारंगल	
2	अरूणाचल प्रदेश	लोहित, लोअर सुबांसरी, पश्चिम सियांग	तवंग
3	असम	बारपेटा, धेमजी, डिबरूगढ़, जोरहाट, कमरूप, लकिमपुर, नागांव, नलबरी	
4	बिहार	अरारिया, बंका, बघलपुर, पूर्व चंपारन, कटिहार, खागरिया, मुज्जफर, पूर्णिया, सितामढ़ी	
5	छत्तीसगढ़	दांतेवाडा, जशपुर, रायपुर, रायगढ़	
6	गुजरात	भावनगर, दाहोड, जामनगर, कच्च, पंचमहल, राजकोट, साबरकांठा, सुरेंद्रनगर	
7	हिमाचल प्रदेश	चंबा, मंडी, कांगड़ा	कुल्लु, शिमला
8	जम्मू और कश्मीर	बारामुल्ला, डोडा, कठुआ, राजौरी, उधमपुर	
9	झारखण्ड	गिरीध, हजारीबाग, रांची	
10	कर्नाटक	बेलगांव, चित्रदुर्गा, गुलबर्गा, कोलार, मांडया, रायचुर, टुमकुर	
11	केरल	इडुक्की, कन्नूर	तिरुवनंथपुरम, एरनाकुलम
12	मध्य प्रदेश	छतरपुर, झाबुआ, शिवपुरी, सिद्धी	
13	महाराष्ट्र	अहमदनगर, बीड, धुले, नासिक, पुणे, सांगली, सातारा, सोलापुर, यवतमल	
14	मणिपुर	--	इंफाल पूर्व और पश्चिम
15	मेघालय	--	री भोय
16	मिज़ोरम	--	आइज़वाल
17	उड़ीसा	खुर्द, रायगड	
18	राजस्थान	अजमेर, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाडा, बीकानेर, चुरू, जयपुर, जैसलमेर, जालौर, नागौर, पाली, सीकर, सिरोही, उदयपुर	
19	तमिल नाडु	इरोड, कृष्णागिरी, नागपट्टिनम, शिवगंगा, तिरूनेलवेल्ली, तिरूचिरापल्ली, विरूद्धुनगर, वेल्लोर	
20	त्रिपुरा	--	पश्चिम त्रिपुरा

21	उत्तरांचल	टिहरी गढ़वाल	पिथोरागढ़
22	उत्तर प्रदेश	अलीगढ़, ईटा, श्रावस्ती, सीतापुर	
23	पश्चिम बंगाल	बंकुरा, बर्धवान, मुर्शीदाबाद, नाडिया पुरूलिया, 24 परगना उत्तर और दक्षिण	दार्जिलिंग

अनुबंध - II

छोटे रोमन्थक(रूमिनॅन्ट) और खरगोशों के विकास के लिए समेकित योजना
ब्याज मुक्त ऋण अंश जारी करने के लिए बैंक के नियंत्रक कार्यालय से समेकित दावा
(नाबार्ड के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में प्रस्तुत किया जाय)

1. बैंक का नाम 2. दावे का माह/ वर्ष

3. वर्तमान दावे की कुल राशि

4. वर्तमान दावे का ब्यौरा

क्र. सं.	ब्योरे	1	2	3	4	5
1	लाभार्थी का नाम और पता (कृपया जिला भी इंगित करें)					
2	वर्ग (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति/ अन्य)					
3	लिंग (स्त्री/ पुरूष)					
4	गठन (वैयक्तिक / स्व स स/ गै स सं/ कंपनी/ अन्य)					
5	शाखा पता (जिला भी इंगित करें)और शाखा का बीएसआर कोड					
6	ऋण खाता संख्या					
7	मंजूरी की तारीख					
8	ऋण का उद्देश्य					
9	यूनिट आकार					
10	कुल वित्तीय परिव्यय					
11	मार्जिन					
12	बैंक ऋण					
13	आई एफ एल दावा					
14	निर्धारित चुकौती					
15	ब्याज की दर					
16	योजना के संबंध में अन्य कोई संगत सूचना					

1. हम यह वचन देते है कि उक्त प्रस्तावों को मंजूर करते समय हमने योजना के परिचालन मार्गनिर्देशों के संबंध में नाबार्ड के परिपत्र सं._________ में निहित समय-समय पर संशोधित सभी अनुदेशों का अनुपालन किया है.

2. हम यह अनुरोध करते हैं कि छोटे रोमन्थक(रूमिनॅन्ट) और खरगोशों के विकास के लिए समेकित योजना के तहत उक्त लाभार्थियों के संबंध में ब्याज मुक्त ऋण अंश के रूप में रु.____________________(रुपये) की राशि जारी करें.

3. हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि आई एफ एल के पूर्व के दावों का पूर्णत: उपयोग किया जा चुका है.

स्थान : **अधिकारी के मुहर और हस्ताक्षर**

तारीख : **(वित्तपोषक बैंक का नियंत्रक कार्यालय)**

अनुबंध - III

छोटे रोमन्थक(रूमिनॅन्ट) और खरगोशों के विकास के लिए समेकित योजना
31 मार्च _______________ की स्थिति में योजना के तहत ऋण खातों की स्थिति

बैंक का नाम : **राज्य :**

क्र. सं.	लाभार्थी का नाम	शाखा	उद्देश्य	परिव्यय	स्वीकृत ऋण	कॉलम 6 का आई एफ एल	31 मार्च ------ की स्थिति		कॉलम 9 में से नाबार्ड को प्रेषित राशि	31 मार्च को बकाया ऋण	अभ्युक्तियाँ
							मांग	चुकौती			

E:\Zutshi 2009\External\Hindi\ICD\ small ruminants